न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी – जगदीश आर्य

प्रार्थना पत्र संख्या 39/2021 तारीख रजू 01.07.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

..........प्रार्थी

बनाम

1. अर्चना पुत्री जयनारायण कुम्हार निवासी मकसुदनपुरा तहसील मलारना डूंगर
2. कमला पत्नी स्व0 जयनारायण कुम्हार निवासी मकसुदनपुरा तहसील मलारना डूंगर
3. गिर्राज पुत्र बजरंगा कुम्हार निवासी मकसुदनपुरा तहसील मलारना डूंगर
4. भरतलाल पुत्र बजरंगा कुम्हार निवासी मकसुदनपुरा तहसील मलारना डूंगर
5. किशोरी पुत्री बजरंगा कुम्हार निवासी मकसुदनपुरा तहसील मलारना डूंगर
6. कंचन पुत्री बजरंगा कुम्हार निवासी मकसुदनपुरा तहसील मलारना डूंगर
7. नारंगी पुत्री बजरंगा कुम्हार निवासी मकसुदनपुरा तहसील मलारना डूंगर

.......अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः **25.06.2024**

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 24.05.2000 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा रामकिशोर पुत्र बजरंगलाल कुम्हार निवासी ग्राम मकसुदनपुरा तहसील मलारना डूंगर को कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आराजी खसरा नम्बर 25/812 रकबा 1.33 है0 साबिक ख0नं0 23/2 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम मकसुदनपुरा में आदेश दिनांक 24/05/2000 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 25/812 रकबा 1.33 है0 साबिक ख0नं0 23/2 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा पर भू.अ. निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का मकसुदनपुरा की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने व कभी आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं होने, मौके पर भूमि खाली पडी होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 2 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी.संख्या 3 लगायत 7 जरिये अधिवक्ता श्री गिर्राज सिंह गुर्जर एडवोकेट उपस्थित हुए। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 25/812 रकबा 1.33 है0 साबिक ख0नं0 23/2 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा पर भू.अ. निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का मकसुदनपुरा की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने व कभी आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नहीं होने तथा मौके पर आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2076–79 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 24.05.2000 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा बहस में तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा उनको जमीन आवंटित की गई थी, जोकि वर्तमान में कहां स्थित है, कि जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा बहस के अन्त में उक्त आवंटनशुदा जमीन अप्रार्थीगण को दिलवाये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार मलारना डूँगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार एवं वकील उभय पक्ष द्वारा दी गयी दलिलो से मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अप्रार्थीगण को आराजी खसरा नम्बर 25/812 रकबा 1.33 है0 साबिक ख0नं0 23/2 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम मकसुदनपुरा आवंटित किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का मकसुदनपुरा की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है व कभी आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं रहा है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2076–79 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थीगण का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 25/812 रकबा 1.33 है0 साबिक ख0नं0 23/2 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम मकसुदनपुरा पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 24.05.2000 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मकसुदनपुरा के आराजी खसरा नम्बर 25/812 रकबा 1.33 है0 साबिक ख0नं0 23/2 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम मकसुदनपुरा को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर